B-II
L-17
Polity

अनुच्छेद - 25 → धार्मिक स्वतन्त्रता

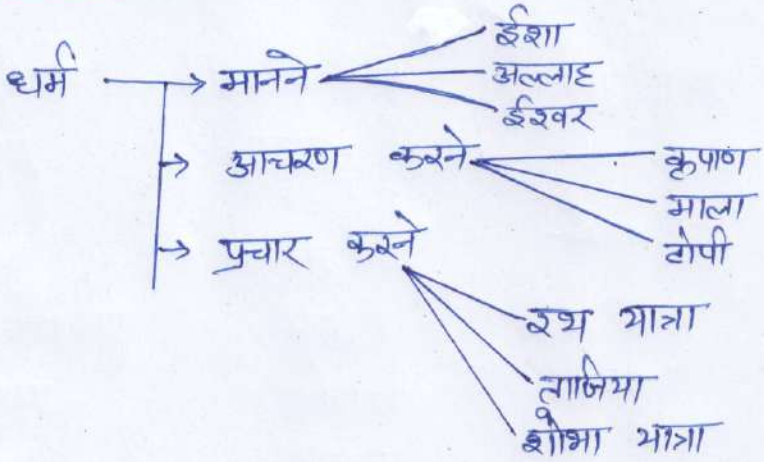

अनुच्छेद - 26 → धार्मिक समूहों को स्वतंत्रता

धार्मिक समूह - जिनकी उपासना पद्धति, ईश्वर, सिद्धान्त आदि एक जैसी हो।

⇒ दान कार्यों के लिए अपनी संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं।

⇒ संस्थाओं की स्थापना व प्रबन्ध करेंगे।

⇒ चल व अचल सम्पत्ति का निर्माण भी कर सकेंगे।

⇒ विधि के अनुसार धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन किया जाएगा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अनुच्छेद - 27 →

किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर आरोपित नहीं करेगा।

अनुच्छेद - 28 →

- धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबन्ध
- हमारे यहाँ 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाऐं हैं -
  i) पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित, उदाहरण - JNU, D.U.
  ii) जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं अथवा राज्य से वित्त प्राप्त करती हैं।
  iii) ऐसी कोई संस्था जो किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो।
- पहले प्रकार की शिक्षा संस्थाओं पर प्रतिबंध है, तीसरे प्रकार की शिक्षा संस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं है और दूसरे प्रकार की संस्था पर सशर्त है (बच्चों की सहमति आदि)।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

धार्मिक अधिकार से संबंधित मुद्दे

- सामाजिक सुधार
  - महिला सशक्तीकरण
  - → धार्मिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है।
  - महिलाओं का मंदिर में प्रवेश
  - समान नागरिक संहिता
- मूल तत्व
- गौण तत्व
  - लाउड स्पीकर बजाना
  - पशु बलि
  - पटाखा चलाना
- धार्मिक प्रचार
  - स्टेनिसलास वाद में कहा कि धार्मिक परिवर्तन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है।
- राज्य का हस्तक्षेप
  - लोक व्यवस्था,
  - स्वास्थ्य,
  - नैतिकता के आधार पर

उदाहरण-
कोविड-19 के समय मंदिर, मस्जिद बंद, धार्मिक जुलूस निकालने पर पाबंदी

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR